केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/P/20/00147

दिनांक : 06.03.2020

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सुचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 04.02.2020 , इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 28.02.2020 को फाइल संख्या CICOM/R/P/20/00147 के तहत अपीलार्थी को सीधे सूचना प्रदान करने हेतू अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ । जिसका उत्तर इस प्रकार है:-

1. आप का पत्राचार पूर्णत स्पष्ट नहीं है । ऐसा प्रतीक होता है कि आप 18.02.2019 को भेजे RTI आवेदन पर सूचना चाहते है । अगर ऐसा है तो न केवल उसे बल्कि आपके संपूर्ण केस को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जानकारी यहाँ दी जा रही है ।

18.02.2019 का आपका पत्राचार इस आयोग को दिनांक 27.02.2020 को प्राप्त हुआ जिसके enclosure legible न होने की वजह से यह स्पष्ट नहीं था कि आप क्या चाहते है । अत: उसे आपको सुविधा ज्ञापन (Diary No. 109240/2019) दिनांक 01.03.2019 को उसमे दर्शाई गई कमियों को दूर करके पुन: प्रस्तुत करने हेतू प्रेषित किया गया जिसकी कवर पृष्ठ की फोटो कापी आपने अपने पत्राचार 04.02.2020 (यानी उपरोक्त RTI आवेदन) के साथ भी सलंग्न की है । जिसमे अपने आपनी अपील 10.02.2018 का जिक्र किया है जो कि आपके अनुसार आपको लौटा दी गई थी । जैसा कि निचे जिक्र किया जा रहा है ।

कमीशन के सॉफ्टवेर के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आपकी 10.02.2018 की अपील कमीशन में 21.02.2018 को प्राप्त हुई जिसमें RTI Application & First Appeal legible, readable तथा scanable न होने की वजह से आपको सुविधा ज्ञापन (डायरी न. 111705/2018) दिनांक 22.02.2018 को त्रुटियां दूर करके पुन: प्रस्तुत करने हेतू लौटा दी गई थी, कृपया ध्यान रहें कि RTI Rule 2012 के रुल 8 के अनुसार उसमें दर्शाये गये दस्तावेजों की स्पष्ट, legible एंव स्वहताक्षरित प्रति उपलब्ध करवाना एक Mandatory आवश्कता है जिसका पालन न होने पर अपील को पंजीकृत नहीं किया जा सकता । अत: कथित 10.02.2018 की अपील को किसी दुर्भावना के तहत नहीं बल्कि Rule 8 RTI Rules 2012 की जरूरतों को पूरा न करने की वजह से आपको वापिस की गई थी ।

2. महामहिम राष्ट्रपति से बड़ा कोई न्यायधीश कोई है से संबंधी जानकारी रिकॉर्ड में नहीं है ।

3. जहाँ तक आप द्वारा 14.12.2018 को भेजी गई अपील का संबध है वह भी उपरोक्त कारणों की वजह से ही आपको सुविधा ज्ञापन (Diary No. 173307/2018) दिनांक 24.12.2018 के तहत हमें मज़बूरी में लौटानी पड़ी । इसी प्रकार दिनांक 23.04.2019 की अपील सुविधा ज्ञापन (Diary No. 118370/2019) दिनांक 24.04.2019 भी को आपको लौटानी पड़ी ।

जहाँ तक दूरभाष 26183053 पर बात ना हो पाने का मामला है यह बताया जाता है कि यह Facilitation Deskका नम्बर है जिस पर call waiting facility होने की वजह से अगर 1 व्यक्ति से बात हो रही हो एंव उसी दौरान दूसरा व्यक्ति call करता है तो उसे ऐसा प्रतीक होगा कि फोन उठाया नहीं जा रहा हालाँकि यह यथार्त में सहीं नहीं है । क्योंकि पहले व्यक्ति से बात चल रही होती है ।

P.T.O

4. उपरोक्त से आप को स्पष्ट हो गया होगा कि कमीशन में कर्यरत किसी भी अधिकारी का किसी अपीलार्थी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है । अवश्य ही जिस व्यक्ति का जिक्र आपने अपने पत्र दिनांक 18.02.2019 में किया उसके द्वारा भी पूर्ण दस्तावेजों (स्पष्ट एंव स्वहस्ताक्षरित legible/scannable) जो कि एक दुसरे से सम्बंधित भी हो, नहीं भेजे होंगे Rule 8 of RTI Rules 2012 के अनुरूप ।

अत: पुन: प्रार्थना है जैसा कि उपरोक्त सुविधा ज्ञापनों में जिक्र किया गया है, कि कृपया RTI Rules 2012 के Rule 8 के अनुसार अपनी अपील स्वच्छ, legible/scannable दस्तावेजों सहित भेजे ताकि उसे पर पंजीकृत किया जा सके । सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी आवेदनकर्ता की है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है. **Smt. Meena Balimane Sharma, प्रथम अपीलीय अधिकारी ,कमरा न .502, केन्द्रिय सूचना आयोग ,बाबा गंगनाथ मार्ग ,नजदीक पुराना जे न यू कैंपस ,नई दिल्ली 110067** । उनका दूरभाष न .011-26162290 है ।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप सचिव/सी पी आई ओ
केन्द्रीय रजिस्टरी –1
दूरभाष न. – 011-26186536

प्रतिलिपि : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ,केन्द्रीय सूचना आयोग ,नई दिल्ली

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप सचिव/सी पी आई ओ

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
06 MAR 2020
D. No.
Initials.